त. ग्रमीण उत्थान हेतु ग्राम विकास योजनाओं को लागू करवाना।

थ. दलितों की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाना तथा उन्हे उचित सम्मान प्राप्त करवाना।

द. दलित वर्ग के लोगों को सविंधान में दिए गए अधिकारों को सरकारी व गैर सरकारी विभागों से प्राप्त करवाने में सहायता करना।

ध. सभा के संचालन हेतु समाज व सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना तथा सभा की चल व अचल सम्पति की व्यवस्था करना

4. कार्यक्षेत्र : समस्त हरियाणा प्रदेश संस्था का कार्य क्षेत्र रहेगा। संस्था प्रदेश के किसी भी गांव व शहर में शाखा स्थापित कर सकती है।

5. सदस्यता : क. दलित वर्ग, अनुसूचित जाति से संबधिंत शिक्षित जन जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो आजीवन सदस्य बनने का अधिकारी होगा।

ख. आजीवन सदस्यता, सदस्यता फार्म दवारा ग्रहण की जाएगी

जिसे प्रधान स्वीकृत करेगा।

ग. सभा के आजीवन सदस्य को सभा के नियमों का पालन करना पड़ेगा।

घ. आजीवन सदस्यता शुल्क 5000 रूपये होगा। सदस्यता शुल्क चैक या हस्तारण दवारा देना होगा। आजीवन सदस्यता सभा के खाता में शुल्क जमा होने पर मान्य होगी।

6. रजिस्टर : सभी सदस्यों का पुर्ण विवरण सदस्यता रजिस्टर में दर्ज होगा तथा रजिस्टर प्रधान के पास रहेगा।

7. चुनाव : सभा के पदाधिकारियों का चुनाव तीन वर्ष के पश्चात होगा। सभा के पदाधिकारियों के लिए सभा का आजीवन सदस्य होना आवयश्क है। सभा के पदाधिकारियों के लिए उच्च शिक्षित होना आवश्यक है वह बाबा साहिब की शिक्षाओं का ज्ञाता हो और उन की शिक्षाओं को मानता हो तथा उस का सामाजिक स्तर अच्छा हो। चुनाव केवल प्रधान के पद के लिए होगा। प्रधान पद हेतू आजीवन सदस्य का कम से कम पिछले 5 वर्षो से सभा के कार्यो में बढ चढकर भाग लेना तथा उच्च शिक्षा प्राप्त होना अनिवार्य है। प्रधान, सभा के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से अन्य पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति करेगा।